क्रम संख्या–42

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2011 ई0

चैत्र 10, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 128/XXXVI(3)/2010/13(1)/2011

देहरादून, 31 मार्च, 2011

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011" पर दिनांक 30 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2011 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011

(अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2011)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए:–

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

शब्द 'उत्तरांचल' के स्थान पर शब्द 'उत्तराखण्ड' प्रतिस्थापित किया जाना

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में "उत्तरांचल" शब्द के स्थान पर "उत्तराखण्ड" शब्द रख दिया जायेगा।

व्यावृत्ति

3–ऐसे संशोधन के होते हुए भी उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

राम सिंह,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **"The Uttarakhand State University (Amendment) Act, 2011"** (Adhiniyam Sankhya 06 of 2011) :

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on March 30, 2011.

No. 128/XXXVI(3)/2010/13(1)/2011

Dated Dehradun, March 31, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND STATE UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2011

(ACT NO. 06 OF 2011)

To amend The Uttar Pradesh State University Act, 1973 (as applicable to the State of Uttarakhand) in the context of Uttarakhand State

AN

Act

Enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows :--

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand State University (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

Substitution of word 'Uttarakhand' in place of word 'Uttaranchal'

2. In the Uttar Pradesh State University Act, 1973 (as applicable to the State of Uttarakhand) in place of word 'Uttaranchal' shall be substituted by word 'Uttarakhand'.

Saving

3. Notwithstanding such amendment anything done of any action taken under the Uttar Pradesh State University Act, 1973 (as applicable to the State of Uttarakhand) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

RAM SINGH,

Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 विधायी / 146–2011–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।